पत्रांक 15/एम 1 – 06/2011

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, (बि0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु कुल रू0 5,36,20,000/– (पाँच करोड़ छत्तीस लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु कुल रू0 5,36,20,000/– (पाँच करोड़ छत्तीस लाख बीस हजार) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षोपरांत तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आलोक में इस योजना का भौतिक आकार निम्नवत् होगा :–

विश्वविद्यालय का नाम /महाविद्यालय का नाम		शौचालय हेतु प्राक्कलित राशि (रू0 में)
1. वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय		
(क)	विश्वविद्यालय (मुख्यालय) (दो युनिट)	15,32,000/–
(ख)	एच0डी0 जैन कॉलेज, आरा (एक युनिट)	7,66,000/–
(ग)	महाराजा कॉलेज, आरा (एक युनिट)	7,66,000/–
(घ)	एस0बी0 कॉलेज, आरा (एक युनिट)	7,66,000/–
(ङ)	डी0के0 कॉलेज, डुमराँव (एक युनिट)	7,66,000/–
2 तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर		
(क)	विश्वविद्यालय (मुख्यालय) (पाँच युनिट)	38,30,000/–

(ख)	29 अंगीभूत महाविद्यालयों में (प्रत्येक में एक यूनीट)।	2,22,14,000/-
3. पटना विश्वविद्यालय, पटना		
(क)	विश्वविद्यालय (मुख्यालय) एवं अन्य परिसरों में (कुल अठारह युनिट)	1,37,88,000/-
4. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा		
(क)	विश्वविद्यालय (मुख्यालय) (कुल दो युनिट)	15,32,000/-
(ख)	विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग (कुल चार युनिट)	30,64,000/-
5. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा		
(क)	विश्वविद्यालय (मुख्यालय) में (दो युनिट) एवं चार अंगीभूत महाविद्यालय में (प्रत्येक में एक युनिट)	45,96,000/-
	कुल	**5,36,20,000/-**

इस योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा।

3. राशि की निकासी अवर सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा एवं राशि की निकासी कर इसे बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया जाएगा एवं इसके व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. योजना की गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरान्त आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष- 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102- विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश विभागीय स्थीाय वित्त समिति की दिनांक 16.02.2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय एवं संचिका संख्या 15/एम 1 - 06/2011 में दिनांक 28.02.2018 को पृष्ठ 21/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1 – 06/2011 122 पटना, दिनाक 14/3/2018

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0. पटना/कुलसचिव, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय/पटना विश्वविद्यालय, पटना/तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा /निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14 एवं 15 तथा प्रेक्षकड़पाल, उच्च शिक्षा एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/3/18

सरकार के उप सचिव